


झारखण्ड सरकार  
(वित्त विभाग)

::आदेश::

दीपावली एवं छठ पूजा के मद्देनजर झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 139 में निहित प्रावधान के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि झारखण्ड सरकार, राज्यपाल सचिवालय, झारखण्ड उच्च न्यायालय तथा विधान सभा सचिवालय के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को माह अक्टूबर, 2022 के मासिक वेतन का भुगतान दिनांक 20.10.2022 से किया जाय।


  
(राजकिशोर खाखा)

उप सचिव।

राँची, दिनांक 12/10/2022

ज्ञापांक : वित्त-7/185/2001-2772/15

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(राजकिशोर खाखा)

उप सचिव।

राँची, दिनांक 12/10/2022

ज्ञापांक : वित्त-7/185/2001-2772/15

प्रतिलिपि : महानिबंधक, माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
(राजकिशोर खाखा)

उप सचिव।

राँची, दिनांक 12/10/2022

ज्ञापांक : वित्त-7/185/2001-2772/15

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के उप सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/स्थानिक आयुक्त, झारखंड भवन, नई दिल्ली/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/अवर सचिव, पी०एम०यू०, वित्त विभाग/सभी कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी, झारखंड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
(राजकिशोर खाखा)

उप सचिव।

राँची, दिनांक 12/10/2022

ज्ञापांक : वित्त-7/185/2001-2772/15

प्रतिलिपि : मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, स्थानीय मुख्य कार्यालय, राँची/मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक, दक्षिणी गाँधी मैदान, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(राजकिशोर खाखा)

उप सचिव।